"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 मार्च 2007—फाल्गुन 12, शक 1928

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2007

अधिसूचना

क्रमांक 13-28/दो-गृह/05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर सेना (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1991 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों, अनुसूची दो, में :-

1. स्तम्भ (2) के अनुक्रमांक 3 की प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ (4) में अंक तथा चिन्ह "50%" के स्थान पर, अंक तथा चिन्ह "33%" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. स्तम्भ (2) के अनुक्रमांक 3 की प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ (5) में अंक तथा चिन्ह "50%" के स्थान पर, अंक एवं चिन्ह "67%" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2007

क्रमांक 13-28/दो-गृह/05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 3-3-2007 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

Raipur, the 3rd March 2007

NOTIFICATION

No. F-13-28/02/Home-Two/05.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendments in Chhattisgarh Home Guards (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1991, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in the schedule II :-

1. In Column (4), against the entries in Serial Number 3 of Column (2), for the figures and sign "50%" the figures and sign "33%" shall be substituted.

2. In Column (5), against the entries in Serial Number 3 of Column (2), for the figures and sign "50%" the figures and sign "67%" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY PILLAY, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.